

Letter Interest To Purchase Property/Land Through Real Estate Agent

रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से भूमि / संपत्ति खरीदने के लिए इच्छापत्र

Real Estate Agent: M/s Chaupal Sansadhan Limited

CIN: U74120UP2015PLC072346

विदित है कि मैं अग्रलिखित भूमि / संपत्ति को, रियल स्टेट एजेंट चौपाल संसाधन लिमिटेड के माध्यम से खरीदने के लिए इच्छुक हूँ.

I प्रथम पक्ष (प्रेषक):

1	खरीददार कंपनी / फर्म का नाम	
2	प्राधिकारी का नाम	
3	प्राधिकारी का आधार	(आधार की कॉपी सलग्न करें)
4	PAN/ CIN	
5	जरिये:	क्रय संयोजक (Purchase Coordinator)
6	क्रय संयोजक का नाम	
7	आधार	(आधार की कॉपी सलग्न करें)

II द्वितीय पक्ष:

1	रियल स्टेट एजेंट	चौपाल संसाधन लिमिटेड
2	CIN:	U74120UP2015PLC072346
3	PAN:	AAGCC1378N # GSTIN: 09AAGCC1378N1ZP
4	RERA Number:	UPRERAPRM169839
5	जरिये:	प्रोजेक्ट डायरेक्टर / लैंड मैनेजर
6	नाम	
7	आधार	(आधार की कॉपी सलग्न करें)

III इस पत्र से सम्बंधित अचल सम्पत्ति का विवरण :

1	सम्पत्ति का प्रकार :	कृषि भूमि / आवासीय भूमि
2	ग्राम/मौजा:	
3	परगना :	
4	तहसील :	
5	जिला :	
6	भूमि का क्षेत्रफल : वर्ग फीट / वर्ग मीटर / विस्वा / बीघा
7	सेगमेंट प्रकार :	----- फ़ीट चौड़ी पक्की सड़क /
8	अन्य विवरण:	

हस्ताक्षर क्रेता / प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर क्रय संयोजक

Letter Interest To Purchase Property/Land Through Real Estate Agent

रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से भूमि / संपत्ति खरीदने के लिए इच्छापत्र

Real Estate Agent: M/s Chaupal Sansadhan Limited

CIN: U74120UP2015PLC072346

IV	सम्पत्ति का वित्तीय विवरण:	
1	प्रथम पक्ष द्वारा ऑफर कीमत: (निगोशिएबल)	₹..... प्रति वर्ग मीटर / वर्ग फीट ₹ प्रति विस्वा / प्रति बीघा
2	कुल सम्पत्ति :	वर्ग मीटर / हेक्टेयर
3	निर्माण की स्थिति :	अनिर्मित
4	प्रथम पक्ष को देय मूल्य :	₹
5	देय मूल्य पर एजेंट शुल्क	1 % (एक प्रतिशत) (GST सहित 1.18 %)
6	विक्रय संयोजक का शुल्क	विक्रय संयोजक का कमीशन विक्रय अनुबंध के समय अलग से लिखित में निर्धारित किया जायेगा.
7	अन्य अतिरिक्त खर्च :	सम्पत्ति अधिग्रहण एवं विक्रय से सम्बंधित विधिक खर्च, समझौता शुल्क, विकास खर्च, मार्केटिंग खर्च एवं भारित टैक्स इत्यादि अन्य खर्च वास्तविक खर्चों के आधार से क्रेता प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा.

V	इस सहमति पत्र को अग्रलिखित शर्तों पर निष्पादित किया जाता है:-	
1	विदित हो कि उल्लिखित भूमि का स्वामित्व सम्बंधित सम्पूर्ण अधिकार भूमि मालिक का है.	
2	द्वितीय पक्ष (रियल एस्टेट एजेंट) चौपाल संसाधन लिमिटेड ने उक्त सम्पत्ति की विक्रय करवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष के अनुरोध पर ली है.	
3	द्वितीय पक्ष (रियल एस्टेट एजेंट) ने प्रथम पक्ष (सम्पत्ति के क्रेता) एवं तृतीय पक्ष (सम्पत्ति के विक्रेता) अन्य दोनों पक्षों के हितों एवं वित्तीय लेन - देन को सुनिश्चित करने के लिए इस सहमति पत्र को लिया है.	
4	सुरक्षा कारणों से एवं प्रथम पक्ष (क्रेता) एवं तृतीय पक्ष विक्रेता के हितों को सुनिश्चित करने के लिये समस्त लेन - देन द्वितीय पक्ष के बैंक खाते (मध्यस्थ एकाउंट) के द्वारा किया जायेगा।	
5	प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के आपसी सहमति से लिखित रूप में उल्लिखित भूमि मूल्य को बाज़ारी भाव के अनुरूप बदला जा सकता है.	
6	यह सहमति पत्र किसी भी पक्ष पर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है.	
7	भूमि के मालिकाना सम्बंधित सभी विधिक जाँच एवं कब्ज़ा की स्थिति से संतुष्ट होने के उपरांत उभय पक्षों के मध्य लिखित अनुबंध सम्पादित किया जायेगा.	
8	लिखित अनुबंध के पूर्व किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन - देन द्वितीय पक्ष/ रियल स्टेट एजेंट के द्वारा नहीं किया जायेगा.	
9	क्रेता इस बात से अवगत है कि कंपनी द्वारा अधिकृत प्रोजेक्ट डायरेक्टर या लैंड मैनेजर के मध्यस्थता के आलावा कोई भी डील कंपनी नहीं करेगी.	

यह सहमति पत्र केवल तीन महीने के लिए वैध है.

दिनांक: स्थान:

हस्ताक्षर क्रेता / प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर क्रय संयोजक